

# करोड़ों की लागत से बदलेगी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग रेलवे स्टेशन की तस्वीर

**435 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर स्टेशन का, 456 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर स्टेशन का एवं 463 करोड़ रुपए की लागत से दुर्ग स्टेशन का किया जा रहा पुनर्विकास**

रायपुर | आरएनएस

रेलवे देश की लाइफलाइन है। रेलवे लगातार यात्री सेवा को सुलभ करने के लिए नवीनतम तकनीक, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। वर्तमान में रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने हेतु स्टेशनों के पुनर्विकास व अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के उन्नयन का कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 435 करोड़ रुपए की लागत, रायपुर रेलवे स्टेशन को 456 करोड़ रुपए की लागत एवं दुर्ग रेलवे स्टेशन को 463 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा

रहा है। इस योजना का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को उन्नत करना, भीड़ प्रबंधन में सुधार लाना और स्टेशन परिसर को आधुनिक बनाने के साथ-साथ इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पुनर्विकास के तहत बेहतर प्रतीक्षालय, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और हरित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिलासपुर स्टेशन का पुनर्विकास-बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत आने वाले समय में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कॉन्कोर्स में एकसाथ लगभग 800 यात्रियों के बैठने के लिए वेंटिंग एरिया का प्रावधान, 1123 से अधिक वाहनों के लिए लगभग 28 हजार वर्ग मीटर पार्किंग एरिया का प्रावधान, बेहतर भीड़ प्रबंधन



हेतु स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग का प्रावधान, 03 नए फुट चौड़े ओवरब्रिज का प्रावधान किया गया है जिसमें दो स्टेशन प्रवेश के लिए तथा एक स्टेशन से निकास के लिए होगा। 6000 वर्ग मीटर का कॉन्कोर्स का प्रावधान किया गया है, बुजुर्गों तथा दिव्याङ्ग यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए 30 लिफ्ट

एवं 22 एस्केलेटर बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने में आसानी होगी। यात्रियों की संख्या: प्रति दिन 65,867 (अधिकतम 6,587 पीक आवर्स में) क्षमता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। रायपुर स्टेशन का पुनर्विकास-बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत

आने वाले समय में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कॉन्कोर्स में अधिकतम यात्रियों के बैठने के लिए 4974 वर्ग मीटर वेंटिंग एरिया का प्रावधान, लगभग 2200 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग एरिया का प्रावधान, बेहतर भीड़ प्रबंधन हेतु स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग का प्रावधान तथा लगभग 3400 वर्ग मीटर का कॉन्कोर्स का प्रावधान किया गया है। बुजुर्गों तथा दिव्याङ्ग यात्रियों की विशेष सुविधा यात्रियों की संख्या: प्रति दिन 47,967 (अधिकतम 4,797 पीक आवर्स में) क्षमता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। दुर्ग स्टेशन का पुनर्विकास-बिलासपुर रेलवे स्टेशन के

पुनर्विकास के अंतर्गत आने आसानी होगी। यात्रियों की संख्या: प्रति दिन 39,498 (अधिकतम 3,950 पीक आवर्स में) क्षमता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग स्टेशनों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्लीन एनर्जी के महत्व को रेखांकित करते हुए स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। जल संरक्षण के दृष्टिगत स्टेशन भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व इमरजेंसी पावर बैक-अप के साथ फायर फाइटिंग स्थापित किए जाएंगे। यात्रियों को दी जाने वाली जस्सी सुविधाओं में खान-पान, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट, वॉशरूम, कवर शेड, स्टैंडर्ड साइनेज तथा दिव्याङ्गजन फ्रेंडली सुविधाएं आदि शामिल हैं। बिलासपुर, रायपुर एवं

दुर्ग स्टेशनों को विश्वस्तरीय रूप देते हुए ग्रीन स्टेशन का रूप दिया जा रहा है, जहां प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का प्रावधान होगा। पुनर्विकास के बाद बिलासपुर स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक केंद्र बनेगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ रोजगार बढ़ने की व्यापक संभावना विकसित होगी जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। यह स्टेशन इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यापार एवं पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन स्टेशनों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 46 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उन्नयन किया जा रहा है।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### 10 हजार रिश्तत लेते प्रभार गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। दुर्ग जिले में एसीबी की टीम ने स्मृति नगर थाने में प्रधान आरक्षक को रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को 10,000 रुपये रिश्तत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया है। दरअसल, एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी बी.फार्मा का विद्यार्थी है जो नेहरू नगर जिला-दुर्ग में निवास करता है। उसने एटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की थी कि उसका कुछ दिन पूर्व एक विवाद हुआ था जिसकी शिकायत थाने में लंबित थी। जांच दौरान प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा से मुलाकात करने पर शिकायत को नस्तीबंद करवाने के एवज में उसके द्वारा प्रार्थी से 20,000 रुपए रिश्तत की मांग की गई। प्रार्थी रिश्तत नहीं देना चाहता था बल्कि प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान आरोपी प्रधान आरक्षक ने 10,000 रुपए लेने की सहमत हुआ। सत्यापन पश्चात आज आरोपी प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को 10,000 रुपये रिश्तत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### फ्लोरा मैक्स कंपनी के मालिक समेत 7 लोगों पर ठगी का आरोप

100 करोड़ की ठगी का खुलासा कोरबा (आरएनएस)। जिले में महिलाओं से ठगी करने और फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले फ्लोरा मैक्स-फ्लोरा व्हेलसेल कंपनी के मालिक अखिलेश सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने नामजद अपराध दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी अखिलेश सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट से तीन दिन की रिमांड पर लिया है, जबकि बाकी छह आरोपी फरार हैं। सूत्रों के अनुसार फ्लोरा मैक्स के आरोपियों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर ब्याज का लालच दिया और उन्हें विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाकर ठगी की। इस गिरोह में शहर के कुछ सभ्रत परिवारों की महिलाएं भी शामिल थीं, जो ग्रामीण और मध्यमवर्गीय महिलाओं को चकाचौंध दिखाकर धोखाधड़ी करती थीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठगी और षड्यंत्र रचने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में नगर सैनिक मनोज भारद्वाज और उसकी पत्नी नीता भारद्वाज का भी नाम सामने आया है, जो इस गिरोह का हिस्सा बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच तेज कर दी है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।

### एमएमयू वाहन से 25 नवंबर को 4 गांवों में जाएंगे डॉक्टर आपके द्वार

सारांगढ़ बिलासपुर। ग्रामीणों के सबसे नजदीक पहुंचकर इलाज करने के उद्देश्य से डॉक्टर आपके द्वार का मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) वाहन 25 नवंबर सोमवार को जिले के सारांगढ़ ब्लॉक के ग्राम जसरा, भोथली, बरमकेला ब्लॉक के ग्राम भटली और बिलासपुर ब्लॉक के ग्राम भोथलीडीह में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। प्रत्येक एमएमयू वाहन में चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, फार्मासिष्ट, लैब टेक्नीशियन उपलब्ध रहेंगे। एमएमयू सभी सुविधाओं से लैस रहेगी, जिसमें लैब टेस्ट और उपचार की व्यवस्था होगी।

## प्रदेश में बढ़ने लगा ठंड का असर

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में सर्दी बढ़ने लगी है। शनिवार को ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा काफी नीचे चला गया। जगदलपुर में शनिवार को सबसे कम पारा 13.1 डिग्री दर्ज किया गया। बीते साल नवंबर में 15 डिग्री से पारा नीचे नहीं गिरा था। रायपुर में इस सीजन का सबसे कम पारा 14.9 डिग्री दर्ज किया गया है जो बीते साल 17.5 तक ही कम हुआ था। बिलासपुर में अब तक 13.2 डिग्री तक गिरा है, जबकि बीते साल का पारा 15.6 डिग्री तक ही कमी आई थी। पेण्डारोड में शनिवार को अब तक 09.4 डिग्री पर पारा रहा। जो बीते साल में 12.4 डिग्री तक गिरा था। अंबिकापुर में पारा शनिवार को 08.4 डिग्री था जो बीते साल नवंबर में सबसे कम पारा 9.8 तक ही गिरा था। सिन्हा से मुलाकात करने पर शिकायत को नस्तीबंद करवाने के एवज में उसके द्वारा प्रार्थी से 20,000 रुपए रिश्तत की मांग की गई। प्रार्थी रिश्तत नहीं देना चाहता था बल्कि प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान आरोपी प्रधान आरक्षक ने 10,000 रुपए लेने की सहमत हुआ। सत्यापन पश्चात आज आरोपी प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा को 10,000 रुपये रिश्तत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



दिन बाद न्यूनतम तापमान में एक-दो डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के शेष भागों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 30.8 डिग्री सुकमा में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 08.4 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। रिवार को राजधानी में फिर से बादल रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री और 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बंगाल की खाली एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। जिसके असर से दक्षिणी-पश्चिमी नम हवाओं का प्रभाव अधिक हो सकता है, जबकि उत्तर-पूर्व से आने वाली हवाओं की गति में कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

## गांजा तस्करों पर पुलिस की कार्यवाही जारी : छाल और खरसिया पुलिस की कार्यवाही में दो आरोपी गिरफ्तार, 3.35 किलो गांजा जब्त

रायगढ़

जिले के खरसिया अनुविभाग में अवैध गांजा बिक्री पर कार्यवाही का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन और एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में छाल और खरसिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों से कुल 3.35 किलो गांजा जब्त किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है।



एक व्यक्ति अवैध गांजा बेचने की फिराक में है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपित कृष्ण राठौर पिता रामेश्वर राठौर उम्र 36 वर्ष पुरानी बस्ती खरसिया थाना खरसिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैग से 2 किलो 588 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत ₹.30,000 है। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बिक्री की बात स्वीकार की। इस पर थाना छाल में एनडीपीएस

एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, सहायक उपनिरीक्षक उदय सिंह, और आरक्षक गोविंद बनर्जी, हरपाल सिंह जगत व प्रबंध राठिया की अहम भूमिका रही।

### खरसिया पुलिस की कार्यवाही:

वहाँ खरसिया पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी पर ग्राम आडपथरा चौक के पास एक काले रंग की TVS एक्स-एल 100 बाइक पर गांजा बेचने की कोशिश कर रहे गौतम राठिया पिता जैतराम राठिया उम्र 48 वर्ष साकिन आडपथरा थाना खरसिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के थैले में प्लास्टिक पन्नी में 770 ग्राम गांजा (कीमत ₹.10,000) और बिक्री से मिली ₹.235 नकद बरामद

### कुल जब्त:

दोनों मामलों में कुल 3 किलो 358 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹.40,000 से अधिक है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर उनकी सख्त नजर है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही जारी रहेगी।

## संविधान दिवस के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर साल भर चलेगा स्मरणोत्सव

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सहित गणमान्य नागरिक करेंगे संविधान की प्रस्तावना वाचन

स्कूल-कॉलेजों में होगा प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता

अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल गांवों में होगा 15 दिवसीय संविधान यात्रा

विशेष ग्राम सभा का होगा आयोजन

रायपुर | आरएनएस

भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 26 नवंबर 2024 से साल भर स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वर्ष भर चलने वाले इस स्मरणोत्सव को 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' के टैगलाइन के तहत संचालित किया जाएगा। स्मरणोत्सव



का यह आयोजन चार स्तंभों संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और संविधान के गौरव विषय पर केन्द्रित होगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रिगण, विधायकगण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना वाचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर अनुसूचित जाति, जनजाति गांवों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ आयोजित किया जाएगा

तथा उक्त कार्यक्रम में भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान के ऊपर निर्मित फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में संविधान निर्माण में राज्य के विशिष्ट लोगों की भूमिका को केन्द्रित किया जाएगा तथा संविधान से संबंधित कला-प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। संविधान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम हेतु संस्कृति विभाग नोडल विभाग होगा एवं की गई सभी कार्यवाहियों की जानकारी एवं छायाचित्र को भारत सरकार की वेबसाइट में अपलोड होगा। संविधान दिवस के अवसर पर पंचायतों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। ये यात्राएं अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी के बहुलता वाले गांवों में आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान, जहां भी बाबा साहेब की प्रतिमाएं होंगी, उन पर पुष्पजलि अर्पित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन होगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा

और समझाया जाएगा। साथ ही इस मौके पर जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों से जुड़े गांवों में, जिसमें संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान पर विशेष जोर देते हुए विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के प्रावधान, संविधान कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा नवीनतम संशोधन आदि विषयों पर प्रश्नोत्तरी आयोजित किया जाएगा। साथ ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा अन्य संवैधानिक मुद्दों पर वाद-विवाद सेमिनार, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, समय के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान को लचीला बनाने तथा नवीनतम तथा प्रमुख संशोधनों पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु आयोजित करेंगे। स्कूली बच्चों को प्रतियोगिताओं और पर युवा सहभागिता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

## नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी, तीन गिरफ्तार

कोण्डागांव | आरएनएस

मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 23.11.2024 को प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली कोण्डागांव में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.11.2024 दिन गुरुवार को जीवनलाल सोम निवासी हर्दडीभाटा जिला धमतरी द्वारा पुलिस विभाग में भर्ती लगा दुंगा कहरक झांसा देकर मेरे साथ एवं मेरे अन्य साथी के साथ कुल 45,000 रुपये लेकर नौकरी लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर ठगी किया है। कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली कोण्डागांव से जौरी की डायरी नम्बरी हेतु थाना विश्रामपुरी को प्राप्त होने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार (भा. पु.से.) कोण्डागांव के दिशानिर्देश

एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेश्वर देव पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसकाल भूपतिसिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में आरोपियों की पतासाजी हेतु तत्काल विशेष टीम गठित कर आरोपियों की पता तलाश शुरू की गई। इस दौरान जीवनलाल सोम अपने घर पर मिला जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने पास रखे प्रवेश पत्र की छायाप्रति 09 नग एवं 30000 रुपये बरामद किया गया। एवं आरोपी उदय शोरी के कब्जे से 7000 हजार रुपये एवं हेमलाल मरकाम के कब्जे से 5000 रुपये को बरामद किया गया है। जिन्हें दिनांक 23.11.24 को विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय पेश किया जा रहा है।

## लूटपाट करने वाले हिस्ट्रीशीटर का पुलिस ने निकाला जुलूस

रायपुर | आरएनएस

प्रार्थी भागीरथी साहू ने थाना गुडियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कृष्णा नगर गली नंबर 05 रायपुर रहता है तथा जोमेटो में डिलवरी का काम करता है। प्रार्थी दिनांक 22.11.24 की रात्रि काम कर घर वापस अपने घर जा रहा था, इसी दौरान उसके मोटर सायकल का पेट्रोल खत्म होने से अपने मोटर सायकल को धकेलते ले जा रहा था, कि रात्रि करीबन 02:30 बजे रामनगर अंडरब्रिज पास प्रार्थी के पीछे से एक सफेद रंग की स्कूटी में सवार 03 लडके आये और प्रार्थी को रोककर 02 लडके उतरे जिसमें से एक लडका प्रार्थी को तुम मुझे पहचानते हो क्या मेरा नाम गौस खान है, क्या-क्या खाते हैं निकाल कहते हुये तीनों प्रार्थी को अश्लील गाली तुल्य देते हुये अश्लील



में रखें पर्स जिसमें नगदी 1500/- रुपये, आधार कार्ड, पेन कार्ड व एटीएम कार्ड था तथा मोबाईल एवं मोटर सायकल में लगा चाबी को लूट लिये तथा सब्जी काटने की चाकू से उसके बायें गाल में वार कर तीनों स्कूटी वाहन में बैठकर फरार हो गये, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना गुडियारी में अपराध क्रमांक 694/24 धारा 309(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लूट की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस कार प्रकरण में मुखबिर लगाये गये। आरोपियों द्वारा घटना के दौरान उद्योग

पुलिस अधीक्षक अपराध संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला अमन कुमार झा (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, थाना प्रभारी गुडियारी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गुडियारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी. टी.वी. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर प्रकरण में मुखबिर लगाये गये। आरोपियों द्वारा घटना के दौरान उद्योग

किये गये दोपहिया वाहन के संबंध में भी पतासाजी कर आरोपियों को चिन्हंकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त थाना आजाद चौक के हिस्ट्रीशीटर केश उर्फ गौस खान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा केश उर्फ गौस खान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य 02 साथी जो विधि के सदस्यों द्वारा केश उर्फ गौस खान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी

कब्जे से लूट की नगदी रकम 1500/- रुपये, आधार कार्ड, पेन कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाईल फोन एवं मोटर सायकल का चाबी तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी वाहन तथा चाकू जप्त करने के साथ ही तीनों के कब्जे से लूट/चोरी की 03 अन्य मोबाईल फोन बरामद किया गया है, जिसमें संबंध में तीनों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी केश उर्फ गौस खान थाना आजाद चौक का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध थाना आजाद चौक में मारपीट, तोड़फोड़, नकबजनी, चोरी, लूट, आबकारी एक्ट एवं आस्र एक्ट सहित अन्य मामलों के लगभग 02 दर्जन अपराध दर्ज हैं, जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है। गिरफ्तार 01. केश उर्फ गौस खान पिता रमजान खान उम्र 21 साल निवासी तुर्की तालाब पास इंदगाहनभाटा थाना आजाद चौक रायपुर।